न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 21/2019 अपील

1. प्रभु पिता प्यारा गाडरी निवासी बागौर तहसील माण्डल –अपीलार्थी	बनाम	1. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार बागौर तहसील माण्डल जिला भीलवाडा –रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार बागौर तहसील माण्डल प्रकरण संख्या 50/2018 निर्णय दिनांक 12.02.2019

उपस्थित –

1. श्री बाबूलाल आचार्य अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री दिनेश तिवाड़ी राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 10.08.2021

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार बागौर प्रकरण संख्या 50/2018 दिनांक 12.02.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी काश्तकार होकर कृषि कार्य करता है। अपीलार्थी की कृषि आराजी ग्राम बागौर प0ह0 बागौर प्रथम में स्थित है एवं अपीलार्थी ने लगभग 15 वर्ष पूर्व अपने मवेशियों को रखने के लिए एवं कृषि सामग्री फसल इत्यादि डालने के लिए बागौर –लेसवा ग्रामीण सडक से लगता हुआ, एक नोहरा बनाया जिसके चारों तरफ अपीलार्थी ने थोहर की बाड़ लगा रखी थी। 15 वर्ष से भी अधिक समय से अपीलार्थी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित नोटिस में दर्शायी गयी जगह पर काबिज होकर बिना किसी रूकावट के निर्बाद्व रूप से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। अपीलार्थी के रहने हेतु ग्राम बागौर में पर्याप्त जगह/मकान नहीं है, जिससे अपीलार्थी ने अभी हाल ही में उक्त कब्जेशुदा जमीन पर अपलार्थी ने लाखों रूपये की लागत लगाकर चारों तरफ पत्थर की ऊंची दीवार बनवायी है एवं छपरा बनवाया है, जिसमें अपीलार्थी अपने मवेशियों को रखता है। पटवार हल्का बागौर प्रथम की रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कब्जेशुदा आराजी नम्बर 2095 को चारागाह की बतायी जाकर अपीलाण्ट को अतिक्रमी घोषित कर उक्त आदेश पारित किया है जो नियम विरूद्व होकर प्राकृतिक न्याय के विरूद्व हैं, जबकि कब्जा मुखालपाना के आधार पर भी उक्त जायदाद पर अपीलार्थी का अधिकार हो जाता हैं। उक्त कब्जेशुदा आराजी पर कभी भी मवेशियों के उपयोग में नही ली गयी, बल्कि उक्त आराजी नम्बर 2095 में से 1.12 बीघा भूमि उप तहसील बागौर कार्यालय भवन हेतु, 4 बीघा भूमि ग्राम पंचायत बागौर आबादी प्रयोजनार्थ आरक्षित की गयी। 11.13 बीघा भूमि को ग्राम पंचायत खेल मैदान के लिए अलोट की गयी, जिसे भी सामुदायिक हॉस्पीटल बनाने के लिये रिजर्व कर दी गयी है।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

उक्त आराजी किसी भी तरह चारागाह के उपयोग के लिए न होकर काफी लम्बे समय से आबादी के उपयोग मे ली जा रही है। राज्य सरकार की मंशा रही है कि यदि किसी गांव में मवेशी कम हो एवं जनसंख्या के अनुपात में आबादी भूमि नही हो या जो चारागाह भूमि आबादी भूमि के नजदीक हो तो '' राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6(21) राज – 4/83 दिनांक 02.02.1983 एवं प. 6(5) राज– 6/98/7 दिनांक 06.04.1998 को दृष्टिगत रखते हुए चारागाह भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करा आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत से प्रस्ताव पारित कर प्रश्नगत भूमि को ग्राम पंचायत को आबादी के लिए आंवटित कराने हेतु अपनी अभिशंषा के प्रस्ताव सक्षम अधिकारी के माध्यम से जिला कलक्टर को प्रेषित करनी चाहिये।'' जिस जगह अपीलार्थी का कब्जा है उसी सरवले में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत इसी आराजी संख्या 2095 में ग्राम पंचायत द्वारा पटटा जारी कर लगभग 04 वर्ष पूर्व आवास बनाया गया है एवं अन्य लोगों को भी पटटे जारी कर रखे हैं। इन सभी तथ्यों से जाहिर है कि वर्तमान में उक्त भूमि चारागाह के उपयोग उपभोग के लायक नही रही है। यदि अपीलार्थी की कब्जेशुदा भूमि चारागाह भूमि में आती है, तो उसे नियमानुसार कार्यवाही कर आबादी भूमि मे दर्ज कराने की अभिशंषा कर सक्षम अधिकारी को प्रेषित की जावे एवं अपीलार्थी के विरूद्व कार्यवाही स्टॉप्ड की जाये। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया है तथा पटवारी हल्का एवं अन्य स्वतंत्र गवाहों के बयान भी नही लिये गये। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्वान्तों के विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य हैं। निवेदन हैं कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 12.02.2019 को अपास्त किया जाये तथा उक्त वादग्रस्त आराजी का अपीलार्थी को नियमन/आवंटन किये जाने की अनुशंषा भी प्रदान करावें।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 29.03.2019 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया। प्रकरण में बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी की कृषि आराजी ग्राम बागौर प0ह0 बागौर प्रथम में स्थित है एवं अपीलार्थी ने लगभग 15 वर्ष पूर्व अपने मवेशियों को रखने के लिए एवं कृषि सामग्री फसल इत्यादि डालने के लिए बागौर –लेसवा ग्रामीण सडक से लगता हुआ, एक नोहरा बनाया जिसके चारों तरफ अपीलार्थी ने थोहर की बाड़ लगा रखी थी। 15 वर्ष से भी अधिक समय से अपीलार्थी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित नोटिस में दर्शायी गयी जगह पर काबिज होकर बिना किसी रूकावट के निर्बाद्ध रूप से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। जिस जगह अपीलार्थी का कब्जा है उसी सरवले में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत इसी आराजी संख्या 2095 में ग्राम पंचायत द्वारा पटटा जारी कर लगभग 04 वर्ष पूर्व आवास बनाया गया है एवं अन्य लोगों को भी पट्टे जारी कर रखे हैं। इन सभी तथ्यों से जाहिर है कि वर्तमान में उक्त भूमि चारागाह के उपयोग उपभोग के लायक नही रही है। यदि अपीलार्थी की कब्जेशुदा भूमि चारागाह भूमि में आती है, तो उसे नियमानुसार कार्यवाही कर आबादी भूमि मे दर्ज कराने की अभिशंषा कर सक्षम अधिकारी को प्रेषित की जावे एवं अपीलार्थी के विरूद्व कार्यवाही स्टॉप्ड की जाये।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

विपक्षी की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा ग्राम बागौर के खसरा संख्या 2093 किस्म बिलानाम व आराजी संख्या 2095 किस्म चारागाह के कुल रकबा 01 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय ने बेदखली के आदेश पारित किया। उक्त अतिक्रमित भूमि राजस्व रिकार्ड अनुसार चारागाह की होकर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम बागौर के खसरा संख्या 2093 किस्म बिलानाम व आराजी नम्बर 2095 किस्म चारागाह कुल रकबा 01 बिस्वा से अपीलाण्ट को बेदखली के आदेश के साथ 50/–रूपये शास्ती वसूली की जो सजा के आदेश पारित किये गये हैं उसमें कोई त्रुटि नही हैं। अपीलाण्ट की अपील खारिज की जाये

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बागौर ने ग्राम बागौर के खसरा संख्या 2093 किस्म बिलानाम व आराजी नं. 2095 किस्म चारागाह कुल रकबा 01 बिस्वा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि पर अतिक्रमण करने से अपीलाण्ट को अतिक्रमित भूमि का वार्षिक लगान का 50 गुणा 50/–रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने एवं अतिक्रमी को मौके से बेदखल करने तथा सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अतिक्रमण के लिए अपीलाण्ट को दण्डित करने का दिनांक 12.02.2019 को जो आदेश पारित किया गया जो विधिसम्मत है। अपीलार्थी ने स्वयं अपनी अपील मेमो में एवं दौराने बहस यह स्वीकारोक्ति की है कि अपीलाण्ट ने ग्राम बागौर के आराजी नं. 2095 किस्म चारागाह सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि पर कब्जा कर पक्का छपरा बनाकर उपयोग कर रहा है। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य नही ठहरती है। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.02.2019 पत्रावली संख्या 50/2018 को यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बागौर एवं तहसीलदार माण्डल को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 10·08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा